स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 324, दिनांकः 06–11–2024

थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में 03 साल से फरार रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी उमर पुत्र मौहम्मद हुसैन की गिरफ्तारी।

दिनांकः 06–11–2024 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित एंव फरार रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त उमर पुत्र मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

उमर पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी आरारसिया पश्चिम टोला, थाना इस्लामपुर उत्तर, दिनाजपुर, पश्चिमी बंगाल।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरादगीः–

1– 01 अदद आधार कार्ड (स्वंय का)

2– 02 अदद ए0टी0एम0

3– 01 अदद पेन कार्ड

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 06–11–2024 समय 15.30 बजे, सेक्टर–जलपुरा हल्दोनी, थाना इकोटेक–3 गौतमबुद्धनगर क्षेत्र ।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में व श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 06–11–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट से सम्बन्धित ईनामी अपराधी उमर पुत्र मोहम्मद हुसैन वर्तमान में हल्दोनी के डूबक्षेत्र में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त उमर पुत्र मोहम्म्द हुसैन को उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त उमर ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 35 साल है तथा अनपढ़ है। वह मूलरूप से जनपद उत्तर दिनापुर, पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है। वर्ष 2011 से वह दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में आकर सिलाई करने का काम करने लगा था। वर्ष 2016 में इसकी (अभियुक्त उमर)

मुलाकात पश्चिमी बंगाल निवासी राजा तथा बिहार निवासी अफरोज एंव शब्बीर से सेक्टर–15 नयाबांस, नोएडा में हुई थी तभी से हम चारो लोग मिलकर बन्द पडे मकानों को चिन्हित करके उनके ताले तोड़कर मकानों में चोरी करते थे। अभियुक्त उमर को वर्ष 2016 में थाना सेक्टर 20 नोएडा की पुलिस द्वारा चोरी की घटना में जेल भेजा गया था तथा 02 माह जेल में रहने के उपरान्त जेल से छूटने पर पुनः चोरी की घटनाऐं करने लगा। इसके बाद अभियुक्त उमर को थाना बीटा–2 गौतमबुद्धनगर की पुलिस द्वारा वर्ष 2017 में चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था और वह लगभग एक माह तक जेल में रहा था। जेल से छूटने के बाद पुनः अभियुक्त उमर को चोरी के आरोप में थाना कोतवाली, गाजियाबाद की पुलिस द्वारा वर्ष 2019 में जेल भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी के कारण दिनांक 09–04–2020 को अभियुक्त उमर को पैरोल पर छोड़ा गया था परन्तु पैरोल अवधि समाप्त होने के पश्चात वह पुनः वापस जेल नही गया तथा पैरोल को जम्प कर फरार हो गया था और तभी से फरार चल रहा था।

अभियुक्त उमर के विरूद्व वर्ष 2020 में थाना कोतवाली, जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी अभियोग में अभियुक्त उमर की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के स्तर से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त उमर, उपरोक्त का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ हैः–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	874/16	380/454/411 भादवि	सेक्टर–20	गौतमबुद्धनगर
2	640/17	8/20 एनडीपीएस एक्ट	बीटा–2	गौतमबुंद्धनगर
3	672/19	380/411/454 भादवि	कोतवाली	गाजियाबाद
4	720/19	380/411/454 भादवि	कोतवाली	गाजियाबाद
5	722/19	380/411/454 भादवि	कोतवाली	गाजियाबाद
6	746/19	4/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	गाजियाबाद
7	776/19	380/411 भादवि	विजय नगर	गाजियाबाद
8	908/19	380/411 भादवि	विजय नगर	गाजियाबाद
9	1484/19	380/411/454 भादवि	सेक्टर–24	गौतमबुद्धनगर
10	1065/19	379 भादवि	जामिया नगर	दिल्ली
11	287/20	2/3 गैगस्टर एक्ट	कोतवाली	गाजियाबाद
12	34/23	174ए भादवि	विजय नगर	गाजियाबाद

अभियुक्त उमर, उपरोक्त को थाना कोतवाली गाजियाबाद के मु0अ0सं0 287/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।